मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार और सतत आजीवीका

डॉ. शिवपूजन यादव

एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य)

पंडित दीन दयाल उपाध्याय

राजकीय महाविद्यालय तिलहर, शाहजहांपुर

सारांश

देश में अनुसंधान और विकास क्षेत्र ने रोजगार, स्थायी आजीविका, अवसरों, गरीबी और विकास के मामले में ग्रामीण लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों को भारत सरकार ने लागू किया। भारत सरकार ने मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार योजना शुरू करके इस दिशा में प्रयास किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक वित्तीय वर्ष में हर घर के ग्रामीण लोगों को सौ दिन की गारंटी रोजगार की पेशकश करके आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। इस योजना में ग्रामीण जीवन रोजगार और आजीविका में सुधार के लिए कुछ उद्देश्यों की परिकल्पना की गई है। यह योजना निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है - पानी का संरक्षण और इसकी कटाई, गरीब जनता को सूखे से बचाना। मनरेगा के एजेंडे में वृक्षारोपण और वनीकरण भी है। मनरेगा के तहत कार्यों के लिए श्रमिकों को उनके श्रम के लिए भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पीस रेट के आधार पर भुगतान करने का प्रस्ताव है।

मूल शब्द: अनुसंधान, विकास, आजीविका, ग्रामीण रोजगार, मनरेगा

प्रस्तावना

नरेगा अधिनियम को सितंबर, 2005 में अधिसूचित किया गया था, जिसका नाम बदलकर 2010 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया था। अधिनियम को तीन चरणों में अधिसूचित किया गया था, जिसे 200 ग्रामीण जिलों में लागू किया गया था, इसके कार्यान्वयन के पहले चरण में (2 से प्रभावी) फरवरी 2006), वित्तीय वर्ष 2007-08 में, इसे 130 अतिरिक्त ग्रामीण जिलों में विस्तारित किया गया था और अंत में 1 अप्रैल 2008 से सभी शेष जिलों को मनरेगा के तहत अधिसूचित किया गया था। तब से मनरेगा ने जिलों को छोड़कर सभी जिलों को कवर किया है। शत-प्रतिशत शहरी आबादी है (मनरेगा समीक्षा, 2006-2011)।

आजीविका, रोजगार सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से मनरेगा ग्रामीण भारत में सामाजिक समावेश के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। इस अधिनियम में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य

अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, एक वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) में 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करने का अधिदेश है। इसमें रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमजोर और पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है, जो हाशिए के वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सशक्तिकरण में मदद करता है।

मनरेगा और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह

मनरेगा योजना में एससी और एसटी सहित हाशिए के समूह की भागीदारी काफी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर, योजना के तहत प्रदान किए गए कार्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी योजना के कार्यान्वयन के प्रत्येक वर्ष में 40-50 प्रतिशत रही है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को रोजगार के कुल व्यक्ति-दिवस का 40 प्रतिशत प्रदान किया गया था। भागीदारी दर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के कुल हिस्से से अधिक है (मनरेगा समीक्षा, 2006-12)।

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली सबसे कमजोर आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है, टिकाऊ संपत्ति के निर्माण के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा, बेहतर जल सुरक्षा, मिट्टी संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता और अधिकार आधारित कानूनों के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित समूहों विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण। यह अधिकार-आधारित कानून (राव आर.के.एम., 2011) की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचितों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सशक्तिकरण पर जोर देता है।

मनरेगा और महिला रोजगार

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं के न्याय और उनकी स्थिरता और रोजगार के अधिकारों की रक्षा के लिए 33 प्रतिशत की वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता को पार कर गई है। मनरेगा परिवारों को बच्चों की देखभाल और सुविधा के लिए सहायता प्रदान करता है। दिशानिर्देशों में कार्यस्थल पर एक क्रेच सुविधाओं की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, ताकि काम परिवारों के लिए सुविधाजनक हो, जो यह सुनिश्चित करता है कि 47 प्रतिशत की राष्ट्रीय भागीदारी दर के साथ एकल महिलाओं को 'परिवार' के रूप में पहचाना जा सकता है, सबूत बताते हैं कि महिलाएं अन्य कार्यों की अपेक्षा इस योजना में अधिक सक्रियता से भाग ले रही हैं। अनुसंधान यह भी इंगित करता है कि मनरेगा उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य अवसर है जो अन्यथा बेरोजगार या अल्प-रोजगार रहती हैं।

नरेगा में महिलाओं को शामिल करना

नरेगा लिंग संवेदनशील योजना है जो यह सुनिश्चित करती है कि कम से कम एक तिहाई श्रमिक महिलाएं हों और कार्यस्थल में इसके लिए सक्षम वातावरण भी सुनिश्चित करें। नरेगा कार्यस्थल पर चाइल्डकैअर सुविधाओं के लिए भी प्रदान करता है, जब छह साल से कम उम्र के पांच से अधिक बच्चे कार्यस्थल पर मौजूद होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है कि, देश के बड़े हिस्से में, चाइल्डकैअर की व्यवस्था नहीं है (जैसे कार्यात्मक आंगनवाड़ी) कामकाजी महिलाओं के लिए। नरेगा में महिलाओं की भागीदारी के अनुपात के संबंध में त्रिपुरा अपने पड़ोसी राज्यों से पहले है क्योंकि यह देखा जाता है कि 2011-12 में महिलाओं के लिए कुल 189 लाख रोजगार सृजित हुए जबकि असम में यह केवल 88 लाख, मणिपुर में 69 लाख, मेघालय में 67 लाख था। नागालैंड में 58 लाख, मिजोरम में 29 लाख और अरुणाचल प्रदेश में महज 0.2 लाख 15. यद्यपि रोजगार सृजन का अनुपात 2006-07 से 2011-12 तक धीरे-धीरे बढ़ रहा है, फिर भी रिकॉर्ड महिलाओं की भागीदारी के अनुपात के बारे में एक भिन्न तस्वीर भी दर्शाते हैं जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है।

मनरेगा: लोगों को सशक्त बनाने की एक पहल

संभवतः, 'महात्मा गांधी' के नाम पर योजना का शीर्षक ग्रामीण लोगों के विकास के उद्देश्य से योजना की आत्मा को प्रदर्शित करता है। कमाई में वृद्धि और कमाई की गारंटी ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है। केंद्र सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तैयार किया। अपने कानूनी ढांचे और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के साथ, मनरेगा उन लोगों को रोजगार प्रदान करता है जो इसकी मांग करते हैं और पहले के कार्यक्रमों से एक आदर्श बदलाव है। 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित, मनरेगा का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया था, इसके पहले चरण में 200 जिलों को कवर किया गया था और 2007-2008 में 130 अतिरिक्त जिलों में विस्तारित किया गया था। शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 1 अप्रैल, 2008 से अधिसूचित किया गया है।

मनरेगा के बारे में तथ्य खोज

योजना की तथ्य विशेषता रोजगार उपलब्ध कराना है, रोजगार के अभाव में न्यूनतम राशि सुनिश्चित की जाती है। यह विशेषता न केवल रोजगार की अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने में सहायक है, बल्कि आय के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने और नियमित पैटर्न पर जीवन स्तर को बढ़ाने में भी सहायक है। स्थानीय ग्राम पंचायत की देखरेख में

एक प्रारूप में रोजगार और कर्मचारी डेटा ठीक से बनाए रखा जाता है। इस प्रक्रिया में परिवार के प्रत्येक सदस्य के जॉब कार्ड का रखरखाव शामिल है। अतः परिवार की आय की गणना आसानी से की जा सकती है।

वितरण प्रणाली स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से है। चूंकि संविधान में ग्राम पंचायत को निचली संवैधानिक इकाई माना जाता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर स्थानीय सत्यापन किया जाता है। रोजगार सृजन प्रक्रिया में स्थानीय ग्राम पंचायत की भूमिका शामिल है। योजना के तहत निबंधन की निर्धारित समयावधि में रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। निर्धारित समय में रोजगार नहीं मिलने पर रोजगार आवंटन के अभाव में दैनिक वेतनभोगी को वेतन देना पड़ता है। योजना का एक सकारात्मक पक्ष महिलाओं को भी समान अवसर सुनिश्चित करना है। प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।

मनरेगा का समाज पर प्रभाव

8 वर्षों की छोटी अवधि में, मनरेगा योजना कम समय सीमा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण रही है। इसका प्रभाव बरकरार मजदूरों, बेहतर आय, सामाजिक सशक्तिकरण और कृषि उत्पादकता, रोजगार सृजन, स्थायी आजीविका के रूप में दिखाई देता है।

ग्रामीण रोजगार और स्थायी आजीविका

इस योजना ने कुछ हद तक आय और रोजगार की अनिश्चित स्थिति को निश्चितता में परिवर्तित करके ग्रामीण वर्ग को रोजगार और स्थायी आजीविका सुरक्षा प्रदान की है। मनरेगा ने वित्तीय वर्ष 2006 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक श्रमिकों के वेतन के रूप में लगभग 1,10,700 करोड़ रुपये (लगभग 1,66,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 66 प्रतिशत) प्रदान किया है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि घरेलू आय, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, खाद्य सुरक्षा और लाभार्थियों के स्वास्थ्य पर इस हस्तांतरण का प्रभाव सकारात्मक रहा है। इसने न केवल निश्चित आजीविका बल्कि गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण रोजगार में भी योगदान दिया है, जिसे महसूस किया जा सकता है।

लिंग और सामाजिक विकास

शोध से पता चलता है कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2011 में इस योजना में 47 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी रही है। इससे पता चलता है कि लिंग आधारित आय में सामाजिक असंतुलन अपना संतुलन बदल रहा है और अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं।

कृषि उत्पादकता

प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि मनरेगा के कार्यों ने कृषि उपज के लिए पानी आदि जैसे संसाधनों सहित सभी पहलुओं में स्थायी आजीविका और ग्रामीण रोजगार सुरक्षा को मजबूत किया है। भूजल में वृद्धि, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन प्रणालियों की जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशीलता में कमी मनरेगा के तहत सुरक्षित संसाधनों का परिणाम है। इसका कृषि उत्पादकता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मनरेगा प्रदर्शन

मनरेगा हमारे देश के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए रोजगार सृजन की गारंटी के लिए एक मील का पत्थर है (कानूनगो, 2011)। इसका उद्देश्य समाज में बड़े पैमाने पर समानता और संतुलन बनाने के लिए हाशिए के वर्गों को आय और सुरक्षा का स्रोत प्रदान करना है। हमारे देश में 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं और इन क्षेत्रों को देश के समग्र विकास और विकास के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने रोजगार और गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

मनरेगा को मजबूत करने के लिए की गई पहल

भारत सरकार नियमित रूप से मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी, विश्लेषण और समीक्षा करती रहती है। सरकार ने, कई उदाहरणों पर, कार्यान्वयन में मुद्दों को सुधारने के लिए कुछ उपाय भी प्रदान किए। योजना को मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख पहलों पर नीचे चर्चा की गई है।

मनरेगा की प्रबंधन सूचना प्रणाली

ग्राम पंचायत को लोगों से प्राप्त आवेदनों, उपलब्ध कराए गए कार्यों और आपात स्थिति में बुलाए जा सकने वाले लोगों के बफर, जारी किए गए जॉब कार्ड आदि के संदर्भ में सभी अभिलेखों और फाइलों का ट्रैक रखने के लिए एक एमआईएस प्रणाली बनाए रखनी चाहिए। यह प्रणाली जनशक्ति संसाधन के प्रभावी उपयोग में मदद करेगी और लोगों की नैतिक और जवाबदेही को बढ़ाएगी।

श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय

जब श्रमिक काम करते हैं, तो कुछ प्रकार के सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है जैसे कामकाजी लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों के साथ किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए श्रमिकों को सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। दुर्घटना से बचने के लिए सरकार को प्राथमिकता के स्तर पर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए।

निष्कर्ष

ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले और महिला समूहों के विकास पर निर्भर करता है। इसने समग्र रूप से समाज के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए हाशिए के समूह द्वारा उत्पन्न व्यक्ति-दिवस में सुधार किया है। राजस्थान ने अन्य राज्यों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी में उच्च वृद्धि दर्ज की है। इसने समाज में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर जोर दिया। मनरेगा ग्रामीण रोजगार स्थायी आजीविका भत्ता के बारे में बात करता है जिसका तात्पर्य है कि जो लोग योजना में पंजीकृत हैं यदि उन्हें 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इससे लोगों में आलस्य की प्रवृत्ति पैदा होगी।

इस योजना ने सभी चयनित राज्यों में से उत्तर प्रदेश में भूमि विकास के लिए सबसे अधिक राशि खर्च की है। इसलिए, मनरेगा योजनाओं को देश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और ग्रामीण लोगों को रोजगार सृजन और ग्रामीण संपर्क, भूमि विकास और स्थायी आजीविका और ग्रामीण रोजगार के लिए पानी से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति निर्माण के माध्यम से उनके आत्म-विकास के लिए समर्थन दिया गया है।

सन्दर्भ सूची

- Dey, M. (2010). National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) A Range of Possibilities. *Studies (IJRS), 17*(2).
- Haque, T. (2011). Socio-economic Impact of Implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in India. *Social Change*, *41*(3), 445-471.
- Kanungo, M. (2011, September). Rural Development Through Microfinance, MGNREGA and Women Empowerment. *Odisha Review*, 75-78.
- L.J.Chaarlas & J.M.Velmurugan, June 2011, "*Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005*", IJPSS, Volume 2 Issue 6, June 2011, ISSN 2249-5894
- Ministry of Rural development, Government of India, *MGNREGA Samiksha: Anthropological Research Study on MGNREGA 2005-2011*. Orient Black Swan, New Delhi, 2011, 9.
- Reforms in MGNREGA implementations, Ministry of Rural Development, Government of India, retrieved from http://nrega.nic.in/circular/Reforms_in_MGNREGA01092011.pdf

- Sabates-Wheeler, Rachel, and Naila Kabeer. 2003. Gender Equality and the Extension of Social Protection.
- Singh P., & Yadav, R. J. (June, 2001), Immunization states of children in BIMARU states, *Indian Journal of Pediatrics*, 68, 495-499.
- Yadav, S. R., 1984, Nepal: Feudalism and Rural Formation, New Delhi: Cosmo Publication.